तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **काशीराम बनाम फतिया** **जीसीएमएस नम्बर 2022/138**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/23	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के आदेश दिनांक 28.03.2007 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष दिनांक 17.04.2007 को पेश की गई जो दिनांक 22.03.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई। साथ ही अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के उक्त दिनांक 28.03.2007 के ही विरूद्ध दुसरी अपील दिनांक 30.03.2007 को जिला कलक्टर अलवर के समक्ष भी प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने एवं दोहरा अनुतोष प्राप्त करने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाते हुए एक ही आदेश दिनांक 28.03.2007 के विरूद्ध दो अलग–अलग न्यायालयों में अलग–अलग दिनांक को दो अपीलें पेश की गई जो न्यायिक एवं विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत अपील का आदेश दिनांक 10.09.2007 द्वारा गुणावगुण पर निस्तारित की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार बदलने से न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर उक्त अपील का दिनांक 26.10.2023 को न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण पर निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा के आदेश दिनांक 28.03.2007 पर गुणावगुण के आधार पर जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 10.09.2007 एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.10.2023 द्वारा न्यायिक अभिनिर्णय दिये जा चुके है तो ऐसे में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर के आदेश दिनांक 28.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को बाजदायरी प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुनः नम्बर पर लियां जाने के औचित्य नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(डॉ0 आरूषी मलिक)** संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	